<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 53/2019 **दायर दिनांकः 15/04/2019**

उनवान

1. मंगतीलाल उर्फ मंगला आयु 73 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति हरिजन निवासी मूण्डला बिसौती हाल निवासी हरिजन बस्ती वार्ड नं0 8 बारां तहसील/जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>

<u>बबत् नाम दुरस्ती घोषणा</u>

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या का ख0न0 214 का रकबा 0.13 है०, ख0न० 215/773 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 217 का रकबा 0.54 है0, ख0न0 224/879 का रकबा 0.02 है०, ख0न0 226 का रकबा 0.07 है, ख0न0 248 का रकबा 0.16 हैव, ख0न0 325 का रकबा 0.56 है०, ख०न0 467 का रकबा 0.08 है०, ख0न0 472 का रकबा 0.10 है०, ख0न0 481/880 का रकबा 0.03 है0, कुल किता 10 का रकबा 1.74 है0, आराजी वादी के दर्ज खाता हैं। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न हैं। वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम मंगला दर्ज हो रहा हैं। घर पर मंगला कहने के कारण वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मंगला दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम मंगतीलाल हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र व बैंक पास बुक में नाम मंगतीलाल हैं जिससे वादी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा हैं इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मंगला के स्थान पर मंगतीलाल किया जाना आवश्यक हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत मण्डला बिसोती सरपंच प्रमाण पत्र की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। बिना सहायता न्यायालय वादी का नाम मंगला के स्थान पर मंगतीलाल दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादी का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादी को अपने कब्ने काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के०सी०सी० ऋण आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:03 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त करने से काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होंगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पडेगा। इसलिए वादी का वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी पर मंगला के स्थान पर मंगतीलाल दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया वाद कारण प्रथम बार पटवार हल्का के पास खसरा गिरदावरी की नकल लेने जाने तथा अंतिम बार दिनांक 11.03.2019 को श्रीमान को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र देने पर श्रीमान द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्न्न हुआ विवादग्रस्त आराजी ग्राम मूण्डला बिसौती तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विसुदध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें किः–

(अ) वादी का वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम मुण्डला बिसोती की खाता संख्या का कुल किता 10 का रकबा 1.74 है0, आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में मंगला के स्थान पर मंगतीलाल दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझ वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि ग्राम मूण्डला बिसौती की खाता संख्या 127 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 किता 7 कुल रकबा 1.53 है0 मंगला पुत्र जगन्नाथ हरिजन के खाते दर्ज है। जिसके स्थान पर खातेदार मंगतीलाल दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:03 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम मूण्डला बिसोती खाता संख्या 127 किता 7 रकबा 1.53 है0 में खातेदार मंगला पुत्र जगन्नाथ दर्ज है तथा आधार कार्ड, बैंक एस0बी0आई0, भारत निर्वाचन आयोग का प्रार्थना पत्र, में वादी का नाम मंगतीलाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती का प्रमाण पत्र दिनांक 16.02.2019 अनुसार मंगतीलाल उर्फ मंगला पुत्र जगन्नाथ हरिजन दौनो एक ही व्यक्ति के नाम है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित मे वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मूण्डला बिसोती की खाता संख्या 115 किता 10 रकबा 1.74 है0 में सहखातेदार मंगला पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर मंगतीलाल पुत्र जगन्नाथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:03 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 53/2019

उनवान

1. मंगतीलाल उर्फ मंगला आयु 73 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति हरिजन निवासी मूण्डला बिसौती हाल निवासी हरिजन बस्ती वार्ड नं0 8 बारां तहसील/जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>

<u>बबत् नाम दुरस्ती घोषणा</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मूण्डला बिसोती की खाता संख्या 115 किता 10 रकबा 1.74 है0 में सहखातेदार मंगला पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर मंगतीलाल पुत्र जगन्नाथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07/01/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	[illegible] वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा [illegible]	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)